I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

'वसुधैव कुटुम्बकम्' और भूमण्डलीकरण की सामाजिक और राजनीतिक प्रासंगिकता

प्रदीप सिंह *

शोधार्थी, राजनीति शास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: प्रदीप सिंह *

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19666326

सारांश

वर्तमान समय में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमण्डलीकृत विचारधारा पूरे विश्व के लिए एक नई अवधारणा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अर्थ है— 'विश्व हमारा परिवार है।' विश्व के 210 देश 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की श्रेणी में आते हैं। आज हमारे समक्ष विश्व में कई चुनौतियाँ हैं, जिनको दूर करने के लिए आपस में एक-दूसरे से सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। तभी सभी महाद्वीपों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा एवं लोगों की सांस्कृतिक एकता, सभ्यता तथा नई विचारधारा का समन्वय संभव होगा और उसके नए प्रतिफल उत्पन्न होंगे। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' न सिर्फ भारत की परिकल्पना है, अपितु भारत का आदर्श भी है। यही कारण है कि भारत रत्न से अलंकृत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने तात्कालीन विदेश मंत्री के रूप में 4 अक्टूबर, 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में हिन्दी में दिए गए अपने भाषण में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को विश्व समुदाय के समक्ष रखते हुए कहा था कि "हमारा इस अवधारणा में सदैव विश्वास रहा है। सारा संसार एक परिवार है। यह अवधारणा भारत की ज्ञानमय और श्रेष्ठ संस्कृति की देन है, जो विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है। इसमें पूरब-पश्चिम का भेद नहीं है, न ही छोटे-बड़े का फर्क है। वह प्रेमपूर्वक, विश्वासपूर्वक सबका आलिंगन करने को अग्रसर है। यह भारतीय संस्कृति का बहुआयामी पक्ष है।" भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष पर अंकित यह वाक्यांश भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमण्डलीकृत समाज वर्तमान में विभिन्न अधिकारों के लिए नए प्रकार के मत एवं विचारधाराओं को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे मानव समाज के मानवाधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित रहें। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा के पक्ष में महात्मा गांधी, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक एवं मदन मोहन मालवीय भी थे, जिन्होंने हमेशा मानवाधिकारों के संबंध में पूरे समाज को नए प्रतिफल एवं आयाम प्रदान किए, जिससे पूरे भारतवर्ष में भूमण्डलीकृत समाज का स्वरूप विकसित हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के महान दार्शनिकों एवं चिंतकों ने भी मानवाधिकार के पक्ष में काफी प्रयास किए, जिनमें प्रमुख रूप से रोमां रोलां, दोस्तोयेव्स्की, टेलर, एस. टी. कौलरिज एवं स्टीफन स्पेंडर जैसे महान व्यक्तियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा को पूरे विश्व में विस्तारित किया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा के प्रबल पक्षधर महात्मा गांधी थे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख घटकों का समग्र विकास किया, जिसका संबंध जीवन के सभी स्वरूपों के प्रति सम्मान, अहिंसा के सिद्धांत एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा से जुड़ा है। इसी विचारधारा की पैरवी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी की है। हाल ही में सार्क, G-20 एवं वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विभिन्न आयामों को समृद्ध करते हुए इस विचारधारा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। इसमें सामाजिकता, राजनीतिकता, गुटनिरपेक्षता एवं भूमण्डलीकृत विविधता की विशेषताओं को दिग्दर्शक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 09-03-2025
- **Accepted:** 27-04-2025
- **Published:** 30-04-2025
- **IJCRM:**4(2); 2025: 479-484
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

प्रदीप सिंह. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और भूमण्डलीकरण की सामाजिक और राजनीतिक प्रासंगिकता. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(2):479-484.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: अवधारणाएँ, प्रासंगिकता, भूमंडलीकृत, प्रतिपादन, अंतरराष्ट्रीय, सामाजिकता, राजनीतिकता।

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

'वसुधैव कुटुम्बकम्' भारतीय सनातन संस्कृति का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। महोपनिषद् में इसका अर्थ है— 'धरती ही परिवार है।' महोपनिषद् के अध्याय 4 के 71वें श्लोक में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को व्यक्त किया गया है—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अर्थ है— वह अपना बंधु है और वह अपना बंधु नहीं है, इस प्रकार की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इसमें इतनी व्यापकता है कि वे संपूर्ण धरा को अपना परिवार मान लेते हैं। इस प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव-जंतु एक ही परिवार के हिस्से हैं। अर्थात् मनुष्य विवेकशील प्राणी है और उसे जीवन के सुख-दुख में एक-दूसरे के काम आना चाहिए। तभी वह मनुष्य और करुणामयी प्रवृत्ति का जीव कहलाएगा।

वर्तमान समय में भूमंडलीकृत विचारधारा ने विश्व के सभी समाजों एवं राष्ट्रों को अधिक से अधिक निकट लाने का प्रयास किया है, जिससे लोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को साकार कर सकें। आज हमारे समाज में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का क्षय होता जा रहा है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसी उदात्त अवधारणा की संकल्पना प्राचीन भारतवर्ष के ऋषि-मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था— 'पृथ्वी पर मानवता का विकास।' इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वे परस्पर एक-दूसरे के विकास में सहायक बनें, जिससे मानवता फलती-फूलती रहे और यह संसार सुंदर बने।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसी उदात्त अवधारणा की संकल्पना प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों द्वारा की गई थी। पृथ्वी पर मानवता का विकास करना सभी का कर्तव्य है। वे परस्पर एक-दूसरे के विकास में सहायक बनें, जिससे मानव जीवन सही रूप से स्थापित हो सके और पूरा विश्व एक-दूसरे के विकास में सहायक बने। इससे आपस में प्रेम, करुणा एवं बंधुत्व की विचारधारा का सभी लोग सम्मान करें। हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिनके अलग-अलग धर्म हैं, जैसे— हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी एवं मुस्लिम आदि; परंतु सभी की अपनी-अपनी परम्पराएँ और रीति-रिवाज हैं, फिर भी सभी मनुष्य एक हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को विश्व समुदाय के समक्ष रखते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था—

"हमारा इस धारणा में सदैव विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है।"

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की वर्तमान समय में प्रासंगिकता एवं व्यापकता अत्यंत व्यवहारिक है, जिसमें मानवता के विकास हेतु निहित विभिन्न अवधारणाएँ शामिल हैं। ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को चेतन्य एवं व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करती हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमंडलीकृत विचारधारा पूरे मानव समुदाय के लिए एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट विशेषता है, जिसमें आदर्श संस्कृति, कला और साहित्य का समन्वय विद्यमान है।

जब हम विश्व के ऐतिहासिक विकास का सिंहावलोकन करते हैं, तब हम पाते हैं कि आज का मनुष्य अपने को किसी विशेष धर्म, विश्वास तथा संस्कृति तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसके विपरीत वह स्वयं को विश्व-परिवार का सदस्य प्रमाणित करना चाहता है। वह एकता की भावना का प्रदर्शन करना चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि वह उक्त उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है?

'वसुधैव कुटुम्बकम्' धर्म, दर्शन और संस्कृति की विशिष्टता एवं विविधता की अवधारणा पर केन्द्रित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वैश्विक समस्याओं एवं धार्मिक उन्मादों का भी उल्लेख किया गया है। प्रत्येक वैश्विक समस्या सामाजिक एवं राजनीतिक भूमंडलीकृत विचारधारा से जुड़ी हुई है, जिसमें पूरी मानवता के साथ-साथ अनेक देशों के गृहयुद्ध, आतंकवाद, अलगाववाद, नस्लीय हिंसा, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, व्यापार, संस्कृति का आदान-प्रदान तथा तकनीकों का विकास आदि शामिल हैं, जो लोकतंत्र एवं भूमंडलीकरण के बुनियादी तत्व हैं। राष्ट्रवाद एक भावात्मक राजनीतिक मान्यता है, जो सीधे शक्ति-संघर्ष से संबंधित है।

यदि विश्व ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को अपनाया होता, तो उसे उन दो विश्वयुद्धों का सामना न करना पड़ता, जिनमें मानवता कराही और कलंकित हुई। वैमनस्य बढ़ा और अस्थिरता व आतंक ने अपने पैर पसारे।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श वैश्विक स्तर पर 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में भी विकसित हुआ। वहाँ मानवता को जीवन का प्रथम आधार माना गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के आदर्श स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को आगे बढ़ाना था। धीरे-धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति एवं मानवाधिकारों को आमजन तक पहुँचाना इसी अवधारणा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। यदि समस्त विश्व के राष्ट्र भूमंडलीकृत होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को अपना लें, तो किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। मानव एक-दूसरे से प्रेम करने लगेगा। इससे ईश्वर की व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा प्रेम, करुणा, दया एवं बंधुत्व की भावना पल्लवित-पुष्पित होकर विकसित होगी। लोग कभी किसी से दुश्मनी एवं शत्रुता नहीं करेंगे और समस्त मानव जाति, जो विनाश की ओर अग्रसर है, वह संयमित एवं अनुशासित हो जाएगी।

धर्म, दर्शन एवं राजनीति के अंतर्गत आने वाले मानवाधिकार एवं भूमंडलीकृत अवधारणा को व्यवहारिक दृष्टि से समता की विचारधारा पर केन्द्रित करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, जिसमें जीवन के अनेक विचार एवं सार्थकता समाहित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी प्रेम का संदेश दिया गया है। सभी को प्रेमपूर्वक रहना चाहिए। तभी समूचा समाज संकल्पनात्मक रूप से विकसित हो सकता है। आज हमारे समक्ष अनेक सामाजिक बुराइयाँ हैं, जिनके कारण मनुष्य का जीवन विभिन्न प्रकार के भय से ग्रसित है। इसके अलावा आज हमारे समाज में संपूर्ण मानवता दिन-प्रतिदिन खंड-खंड होती जा रही है। धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति भी दिन-प्रतिदिन पतन की ओर जा रही हैं, जिसका कारण आपस में एक-दूसरे के प्रति वैर-भाव और घृणा है। हालाँकि यह दर्शन व्यवहारिक दृष्टि से दुरूह भी है। इसे परिवार के स्तर से ही समझा जा सकता है। समाज की पहली इकाई परिवार ही होती है, जो रिश्तों-नातों का एक ऐसा समूह है, जहाँ समरसता की अपेक्षा की जाती है, किन्तु प्रायः यह समरसता कायम नहीं रह पाती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच भी

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और वैचारिक मतभेदों के कारण बिखराव और विघटन भी देखने को मिलता है।

हमने पृथ्वी को बाँटने के साथ-साथ पूरी मानव जाति को भी बाँट दिया है तथा मनुष्य ने अपने आप को संवेदनाओं में सीमित कर लिया है। आज का विश्व अलग-अलग समूहों में बँटा हुआ है। वह केवल अपने अधिकार और उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, दूसरों का भला नहीं। वैर-भाव, अन्याय, दमन और शोषण उसकी प्रवृत्ति बनती जा रही है। प्रकृति ने पृथ्वी को बहुत खूबसूरत बनाया है, परंतु मनुष्यों ने अपने क्रिया-कलापों से उसे गंदा और प्रदूषित कर दिया है।

भूमंडलीकरण सभी देशों के मध्य पूँजी, सेवावस्तु एवं बौद्धिक संपदा के संदर्भ में अप्रतिबंधित आदान-प्रदान है, जिसका उद्देश्य विश्व की सतत गतिशील अवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा के बीच तालमेल स्थापित करना है। यह स्वाभाविक भी है। निरंतर गतिमान सांस्कृतिक सरोकारों एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में क्रमोत्तर वृद्धि करना, आध्यात्मिक उपलब्धियों एवं भौतिक संसाधनों का क्रियान्वयन करना, जिससे परम्पराएँ, अध्यात्म, उत्कृष्टता, त्याग एवं बलिदान के मूल्यों तथा अहिंसा एवं शांति के प्रतिमानों के कारण विश्व में अग्रणी होने का दावा किया जाता है। आज भूमंडलीकरण की आँधी में सारा विश्व शंकाओं, दुविधाओं एवं संकुलताओं के चौराहे पर खड़ा है, जिसमें जीवन का समन्वयवादी दर्शन, आत्मतत्व के ज्ञान की पराकाष्ठा, सीमित संसाधनों में सुखानुभूति एवं भूमंडलीकृत समाज को कई प्रकार की चुनौतियाँ दे रहा है।

समकालीन अनुप्रयुक्त नैतिकता में भ्रूण-हत्या, गर्भपात, मानव-हत्या और मृत्यु-दण्ड की तरह इच्छा-मृत्यु की समस्या नैतिक दृष्टि से विवादास्पद रूप में चर्चित है। एक ओर अनेक नीतिविद् इसके समर्थन में अनेक सशक्त युक्तियाँ देकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक विचारक, आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रबल विरोध कर रहे हैं।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' और भूमंडलीकृत विचारधारा विभिन्न परिस्थितियों का समन्वय करके जीवन मूल्यों से जुड़ती हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संबंध मानव श्रम की गतिशीलता, उदारीकरण का प्रभाव, पूँजी का अधिनायकवाद, मानवाधिकार, सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक अस्तित्व का संकट, बदलता भारतीय समाज, मूल्य संस्कृति एवं शिक्षा, भूमंडलीकरण का बौद्धिक चिंतन एवं जीवन के बदलते मूल्य—इन सभी से है, जो भारतीय संस्कृति को विभिन्न संस्कृतियों से जोड़कर उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के बाद से अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने मुक्त बाजार-व्यवस्था, उदारीकरण, प्रौद्योगिकी के एकीकरण आदि लुभावनी नीतियों से की। यद्यपि वर्तमान समय में यह एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखी जा रही है। अतः भूमंडलीकरण का श्रेय पूर्णतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं विकास को जाता है। इंटरनेट एवं संचार के अन्य तीव्र साधनों ने विश्व को न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी निकट ला दिया है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्', भूमंडलीकरण एवं भारत के बदलते स्वरूप को धीरे-धीरे अवधारणात्मक रूप प्रदान कर रहा है, जिसके कारण विश्व के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, संचार व्यवस्था, उपग्रह, मीडिया, मोबाइल, शिक्षा एवं रोजगार आदि के माध्यम से भौतिक क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। भूमंडलीकरण में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा को देखते हुए राजनीतिक प्रभाव, भारतीय मूल्य, संस्कृति एवं शिक्षा तथा चेतना के मूल आधार—इन सभी का पुरातनता एवं नवीनता की उपादेयता के आधार पर विश्लेषण किया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ पुरुष एवं नारी के बदलते मूल्यों का समन्वय भी किया गया है। विभिन्न प्रकार के चिंतन, प्रतिमान एवं नवीन तकनीकों को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से जोड़ते हुए समाज एवं राष्ट्र को सम-सामाजिक दृष्टि से राष्ट्रवादी चुनौतियों के समक्ष व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमंडलीकरण ने जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है। जीवन के अनेक आयाम—जैसे आय में विभिन्नता, समानता एवं असमानता, वैश्विक आर्थिक स्रोतों का विकासशील देशों से संबंध, मानवीय पूँजी का वैश्विक पर्यावरण से जुड़ाव तथा वैश्विक ग्राम की अवधारणा—इन सभी को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक अवधारणाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अनेक विचारों को आमजन तक पहुँचाकर समूचे समाज को एक नई संरचना के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वैश्वीकरण, 'ग्लोबल' एवं अंग्रेजी शब्द का विशेषीकृत रूप है। अपने इस रूप में वैश्वीकरण ने नीतिवाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को आत्मसात कर लिया है। वैश्वीकरण का अभिप्राय ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं से है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विभिन्न अभिकरणों में विभक्त हैं। इस संघ की सदस्यता ग्रहण करने वाले राष्ट्रों पर ही इसकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू होते हैं। यह संगठन प्रत्यक्ष रूप से सदस्य राष्ट्रों के विकास योजनाओं में सहायता भी प्रदान करता है।

भूमंडलीकरण के तीन पक्ष हैं—आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, जिनका मुख्य उद्देश्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा का क्रियान्वयन करना तथा विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़कर उन्हें गतिशील बनाना है, जिससे संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र भूमंडलीकरण के दायरे में एक नया स्वरूप ग्रहण कर सके। इसमें विभिन्न समीक्षाएँ, सांस्कृतिक प्रगति तथा संवाद के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिससे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना और अधिक विकसित हो सके।

वैश्वीकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी की क्रांति ने विश्व को एक छोटे गाँव के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा इंटरनेट जैसे संचार साधनों ने विश्व को जोड़ने में मुख्य योगदान दिया है। प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक भागों में विचार, पूँजी एवं वस्तुओं का आदान-प्रदान सरल हुआ है।

वैश्वीकरण की एक विशेषता विभिन्न संस्कृतियों में आपसी मिलाप, अंतःक्रिया तथा एक-दूसरे को प्रभावित करना भी है। आज भारत के लोग अमेरिका जैसी जीवन शैली अपनाने लगे हैं तथा अमेरिका में रहने वाले लोग भी भारतीय रीति-रिवाजों को कुछ अंश तक अपनाने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में दीपावली के समय रोशनी की जाती है। यह वैश्वीकरण का प्रतीक है।

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर मानवता का विकास करना था। इसके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वे परस्पर सहयोग के साथ रहें, जिससे मानवता फलती-फूलती रहे। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक इसमें बहुत से परिवर्तन हुए, जिनका संबंध मानवता से है। मानव, मानवता और मानवीयता—इन सबकी विचारधाराएँ एक जैसी हैं। इन्हीं के मंथन से मनुष्य के बीच तारतम्यता और सद्भावना बनी रहती है। आज हमारे समक्ष मानवता में क्रूरता और हिंसक प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं।

आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद प्रभावी है। इसमें व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया को दो विश्वयुद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। आज मनुष्य धर्म, जाति, भाषा, रंग तथा संस्कृति आदि के नाम पर इतना बँट चुका है कि वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। जगह-जगह हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका प्रमाण है। आज पूरा विश्व अलग-अलग समूहों में बँटा हुआ है, जो अपने-अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग हैं। आज मनुष्य की जाति, भाषा, रंग और संस्कृति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से संपूर्ण दुनिया ने सह-अस्तित्व की विचारधारा को विकसित किया है, जिससे पूरी मानवता का उदय हुआ है। बहुत से राष्ट्र आपस में सहयोग करने लगे हैं। जिस दिन विश्व के सारे राष्ट्र एक-दूसरे से मिलकर आचरण करने लगेंगे और उन देशों के निवासी एक-दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, तभी सच्ची मानवता का प्रचार-प्रसार संभव हो सकेगा। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के आधार पर सभी लोग आपस में एक-दूसरे से सहयोग करते हैं और सभी लोग भाईचारे के रूप में समाज में निवास करते हैं।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण पूरा विश्व अशांत एवं तनावग्रस्त है। सभी को एक-दूसरे के सहारे की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भारतीय दर्शन और अधिक प्रासंगिक हो गया है। मौजूदा वैश्विक त्रासदी में भारत सरकार द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित अनेक दवाओं की आपूर्ति की जा रही है, जो भारत की उदार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की नीति को अभिव्यक्त करती है। आज इस नीति को पूरे विश्व को अपनाने की आवश्यकता है, तभी मानव समाज का अस्तित्व कायम रहेगा।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण की आवश्यकता में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। धीरे-धीरे शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य को अपने अधिकार बोध का भी ज्ञान हुआ, जिससे मानव अधिकारों में पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो प्रमुख रूप से संविधानों के अंग एवं उपायों पर उसकी आधारशिला के रूप में विकसित हुआ।

मानवाधिकार से अभिप्राय "मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता; एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार।" भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद-14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' मानवाधिकारों की रक्षा को विश्वभर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका मुख्यालय लंदन में है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं मानव अधिकार का संरक्षण एक-दूसरे से संबद्ध हैं। मानव ने अपनी बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन किए हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके। इसके अलावा जीवन में गुणात्मक एवं विधिक परिवर्तन लाने के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्', भूमंडलीकरण और मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें कला के अतिरिक्त जीवन शैली, संविधान, मानवाधिकार तथा प्रकृति को संरक्षित करते हुए एक आदर्श जीवन की शुरुआत की जाती है, जिससे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा की पहचान होती है और उसकी व्यापकता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

दुनियाभर के मानवशास्त्री आज चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि सभी ओर आदिवासी शीघ्रता से बदल रहे हैं। ऐसी अवस्था में मानवशास्त्री क्या करेंगे? समाजशास्त्री भी कुछ इसी प्रकार परेशान हैं। वे देखते हैं कि विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया बहुत शीघ्रता से तीसरी दुनिया के देशों को अपने परिवेश में समेट रही है। विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति के स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुँच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन देशों में सांस्कृतिक बमबारी हो रही है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ रहा है और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्परा नष्ट-भ्रष्ट हो रही हैं तथा एक ओर नई सोच भी विकसित हो रही है।

दुनियाभर के देशों में सांस्कृतिक मूल्य बदल रहे हैं, जिस कारण मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, समाज सुधारक एवं समाज के मीमांसकों ने अपनी विचारधारा के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन की वास्तविकता और यथार्थ को एक निश्चित दिशा दी गई है, जिससे सारा विश्व अपनी मूल संस्कृति को नष्ट न करे, बल्कि मूल और नवीन संस्कृति का एक संतुलित मार्ग अपनाए। तभी पूरे विश्व की संस्कृति मानव अधिकार, संरक्षण तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का समन्वय कर सकेगी।

हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी परिवार है। परिवार के बीच भावनात्मक संबंध जुड़े रहते हैं, जिससे सामान्यतः वैचारिक मतभेद नहीं होते। परिवार एक-दूसरे के सुख-दुख का साथी होता है। इस अपनेपन की प्रबल भावना के कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता है। एक परिवार के सदस्य एक-दूसरे को पीछे धकेलने के बजाय एक-दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार के इसी स्वरूप को वैश्विक स्तर पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' ने निरूपित किया है।

आज हमारे देश में पूरे समाज का भूमंडलीकरण हो चुका है, जिससे मानव जीवन अत्यंत कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रहा है। आज उसके समक्ष चुनौतियों के साथ-साथ नई संभावनाएँ भी हैं, तभी जीवन दोषरहित हो सकता है। पूरी दुनिया के समक्ष विभिन्न समस्याएँ हैं जैसे जातिवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, विघटित समुदाय, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक समस्याएँ, आत्महत्या, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण। ये सभी कारण भूमंडलीकरण एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आयामों पर केन्द्रित हैं। प्रत्येक देश की अलग-अलग समस्याएँ हैं, जो भूमंडलीकरण एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा को प्रभावित करती हैं, जिससे

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

मानव जीवन हिंसक एवं अनियंत्रित बनता जा रहा है। आज विकास तो हुआ है, परंतु उसमें विनाश भी छिपा हुआ है। मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य रोगग्रस्त हो गया है, जिससे मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के दोष एवं कमियाँ उत्पन्न हुई हैं।

भूमंडलीकृत समाज कई भागों में विभाजित है, जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। धन पर्याप्त होने पर भी जीवन में निराशा, आशाहीनता एवं निर्धनता बनी रहती है, जो जीवन की गति को प्रभावित करती है। मूलतः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना अधिक प्रभावी एवं संस्कृतिजन्य है, जिसमें जीवन की वर्चस्वता एवं सत्ता के मूल्य निहित हैं।

इन सबके बावजूद समाज बँट गया है और इसी कारण पृथ्वी को भी बाँट लिया गया है। पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप देशों में और देश राज्यों में विभक्त हैं। यह विभाजन आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ मनुष्य की संवेदनाएँ भी विभाजित हो गई हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार, मोहल्ले से शुरू होकर देश या राष्ट्र पर समाप्त हो जाता है। आधुनिक समय में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' केवल ग्रंथों-पुराणों में वर्णित एक अवधारणा बनकर रह गई है, वास्तव में यह पूर्ण रूप से व्यवहार में दिखाई नहीं देती।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का प्रकार्यात्मक स्वरूप विभिन्न अवधारणाओं से गुजरता है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक तथा विमर्शात्मक समस्याएँ और जीवन के विभिन्न संघर्ष एवं पीड़ाएँ शामिल हैं। वर्तमान समय में समाज धीरे-धीरे विभेदीकृत हो गया है, जिससे समाज कई वर्गों में बँट गया है, किन्तु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के माध्यम से अनेक औचित्य एवं अनौचित्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। भूमंडलीकरण एक-दूसरे के विकास में सहायक है और जीवन को विस्तृत एवं विकासशील बनाने में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमंडलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हमारे समाज ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को विकसित करने के लिए भूमंडलीकरण, मानव के मूलभूत अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जीवन के विविध पहलुओं तथा मानव अधिकारों से जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं को अपनाया है। जैसे— संरक्षण एवं न्यायिक प्रक्रिया, वर्ग संघर्ष, बाल नीति संरचना, प्रकार्य सिद्धांत एवं यथार्थ, इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ—इन सभी का क्रियान्वयन विचार एवं संकल्पना के माध्यम से होता है, जिसकी वैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है।

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़े हुए हैं। मानव अधिकारों की अवधारणा अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मानव अधिकार उन परिस्थितियों एवं पर्यावरण को भी शामिल करते हैं, जो मानव को अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व के विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए निहित अधिकार हैं, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, निवास, लिंग, जातीय मूल, रंग, धर्म अथवा अन्य परिस्थितियाँ कुछ भी हों।

आधुनिक युग में जहाँ मानव अधिकारों की बात की जा रही है, वहाँ आदिवासियों के लिए मानव अधिकारों में कोई स्पष्ट स्थान नहीं है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर काफी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिनमें मनुष्य की जीवन-शैली प्रभावित हुई है। अधिकार, मानव अधिकार, भूमंडलीकरण और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का नया प्रारूप समाज में विकसित हो रहा है, जिससे सामाजिक बुराइयों और असमानताओं का हनन हो रहा है। आज हमारे समक्ष अनेक चुनौतियाँ एवं विषमताएँ हैं, जिनसे मानव जीवन विकास के साथ-साथ विनाश की पगडंडियों पर अग्रसर हो रहा है।

आधुनिक प्रगतिशील समाज में चारों ओर साम्राज्यवाद एवं वैश्वीकरण का दौर अधिक जटिल हो गया है, जिससे नई संभावनाएँ विकसित हुई हैं, किंतु मानव जीवन और उसकी क्रियाएँ भी विशृंखलित रूप में दिखाई दे रही हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध विशेष रूप से पूरे राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं शक्तिशाली है, जिसकी विचारधारा संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है।

अधिकतर लोग मानव अधिकार आयोग के नाम से इसका सदुपयोग एवं दुरुपयोग दोनों कर रहे हैं। नए विचारों को आमजन तक पहुँचाने के लिए मानवाधिकार आयोग की विचारधारा एवं संकल्पना न्यायिक एवं प्रकार्यात्मक है, जिसमें विभिन्न वर्ग-संघर्षों के साथ-साथ नए अधिकारों को सैद्धांतिक एवं संस्थागत परिप्रेक्ष्य में नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। आज हमारे समाज में अनेक लोगों का उत्पीड़न एवं शोषण हुआ है, जिसके समाधान हेतु मानव अधिकारों के माध्यम से उन्हें एक आदर्श जीवन-शैली अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं भूमंडलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है अर्थात् वह बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति को अपने भले-बुरे का निर्णय करने तथा नैतिक स्वतंत्रता के रूप में अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।

प्रत्येक देश में मानव अधिकार उत्कृष्ट एवं व्यवहारिक हैं, जिनमें वास्तविकता का समन्वय है। आज हमारे समाज में अनेक ऐसे कृत्य किए जाते हैं, जो जीवन के यथार्थ से परिचित कराते हैं। मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिनमें अनेक प्रतिफल एवं आयामों का सापेक्षीकरण होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की विचारधारा में सामाजिकता, राजनीतिकता एवं विविधता की विराटता को प्रासंगिक बनाया जाता है, जिसमें यथार्थ एवं वास्तविकता का समन्वय होता है।

मैकफारलेन के अनुसार— मानव अधिकारों को सार्वभौमिक कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों को, सभी समयों में तथा सभी परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् ये अधिकार किसी विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते।

मानव अधिकार आयोग के संबंध में जीन-जैक्स रूसो, पाल सिगर्ट, न्यायमूर्ति नगेन्द्र सिंह एवं मैकफारलेन ने मानव अधिकारों पर अपने विचारों को सृजनात्मक रूप दिया, जिससे इसमें नवीनता एवं स्पष्टता आई। आज मनुष्य के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जो जीवन के लिए प्रेरणादायक एवं परिप्रेक्ष्यात्मक भी हैं।

मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है, जो वास्तविक रूप में क्रियान्वयन योग्य होते हैं, अर्थात् ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता जिन्हें कार्यान्वित करना संभव न हो। मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों द्वारा

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। स्पष्टतः मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया गया, जिससे बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार विश्वभर में लागू हुए। मानव अधिकार मानव आदर्शों का प्रतिबिंब हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 1 से 30 तक किया गया है। मानव अधिकार सभी प्राणियों के लिए उपयोगी एवं अधिकारों से युक्त हैं, जिनमें विवेक तथा चेतना निहित है। विभिन्न अनुच्छेदों का अलग-अलग महत्व है, जिनमें राष्ट्रीयता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से अवसर चुनने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार एवं घूमने-फिरने का अधिकार आदि शामिल हैं।
मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कार्यरत विभिन्न सरकारी संगठनों एवं विशिष्ट एजेंसियों ने विभिन्न देशों में होने वाले मानवाधिकार हनन की जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकत्र की है। विश्व में मानवाधिकार संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं—
1952 से 2004 तक महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, बाल श्रम के विरुद्ध कदम, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना, तथा विभिन्न रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया गया।
भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 27 सितंबर 1993 को की गई। इसकी स्थापना हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश प्रस्तावित किया गया। राज्य स्तर पर समान आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु लोकसभा ने 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 8 जनवरी 1994 को यह अधिनियम बन गया, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानव अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया है, जिसका कार्य मानव अधिकारों का संरक्षण है।
मानवाधिकार संरक्षण हेतु भारतीय प्रयास सराहनीय हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, न्याय के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, भाषा एवं संगठन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे समाज सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोग जैसे— अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं महिला आयोग भी मानव अधिकारों के संरक्षण में कार्यरत हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। इसका आधारभूत कारण यह है कि संपूर्ण विश्व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना की ओर अग्रसर है। मानव संस्कृति एवं सभ्यता का विकास मुख्य रूप से मानवता के संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारित है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण मानवता को चेतन्य, जागरूक एवं भाईचारे से युक्त बनाना है, जिससे इसमें नई प्रासंगिकता उत्पन्न हो सके।
भारतीय समाज में दिन-प्रतिदिन भूमंडलीकरण की विचारधारा विकसित हो रही है, जिसके कारण समाज का पुनर्सृजन एवं मूल्यांकन हो रहा है। मानव अधिकार सदैव मानव संस्कृति, सकारात्मक विचारधारा और मानव मूल्यों को महत्व देता है, जिसमें भारतीय परिदृश्य का सकारात्मक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', भूमंडलीकरण की विचारधारा एवं मानव अधिकारों का संबंध समन्वयात्मक हो तथा मनुष्य का जीवन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से युक्त बने।

संदर्भ सूची

1. महोपनिषद्, चतुर्थ अध्याय, 71वाँ श्लोक
2. अनिल अग्रवाल, निबंध मंथन 2020-21, मंथन प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण 2021, पृ. 213
3. वही, पृ. 213
4. डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, धर्म-दर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास आगरा, प्रथम संस्करण 1962, पृ. 250
5. अनिल अग्रवाल, निबंध मंथन 2020-21, मंथन प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण 2021, पृ. 214
6. डॉ. वी.के. पाण्डेय, वैश्वीकरण के विविध आयाम, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, संस्करण 2012, पृ. 47
7. वही, पृ. 227
8. बी.बी. चौधरी, समकालीन विश्व राजनीति एवं स्वतंत्र भारत में राजनीति, महावीर प्रकाशन दिल्ली, सातवाँ संस्करण, पृ. 180
9. योगेश चन्द जैन, हिंदी निबंध, अरिहंत पब्लिकेशन्स दिल्ली, संस्करण 2023, पृ. 408
10. वही, पृ. 408
11. वही, पृ. 137
12. एस.एल. दोषी, पी.सी. जैन, समाजशास्त्र नई दिशाएँ, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2009, पृ. 448
13. योगेश चन्द जैन, हिंदी निबंध, अरिहंत पब्लिकेशन्स दिल्ली, संस्करण 2023, पृ. 408
14. डॉ. जनक सिंह मीना, मानवाधिकार: संकल्पना एवं यथार्थ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, संस्करण 2015, पृ. 87
15. वही, पृ. 19
16. वही, पृ. 60

Creative Commons (CC) License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 प्रदीप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/